THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) to (d). Government do not monitor suh information. The required information will be collected and laid on the table of the House.

Corruption Cases in Military Farms

7052. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) how many cases of corruption were reported at local or all India level in the department of Military Farms in the year 1979 and upto June, 1980;

(b) in how many cases departmental or other enquiries were held; and

(c) how many officials were found guilty and number of officials penalised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI C P. N. SINGH): (a) To the extent informaion is available with the Army Headquarters, 16 cases were reported during 1979 and upto June 1980.

(b) and (c). Inquiry in two cases has been completed and the services of two employees found guilty were terminated. Inquiry in five cases is in progress.

केन्द्रीय पुलिस संगठन में वरिष्ठ सूची तैयार क्या जाना

7053. श्री राम विलास पासवान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय पुलिस संगठन मे विभिन्न स्त्रोतों से लिये गये अधिकारियों की वरिष्ठता सूची गत चौदह वर्षों से तैयार नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वरिष्ठता निश्चित करने के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश तथा निर्णय हैं ; और

(ग) इस मामले में अनियमितताओं को कब तक दूर कर दिया जायेगा और इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) 14 वर्ष या इससे अधिक समय से जो केन्द्रीय पुलिस संगठन विद्यमान है; उनमे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को छोड़कर सभी ने वरियता सूचियां तैयार कर ली हैं। तथापि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के मामले मे भी 1974 में अस्थाई ग्रेडेशन लिस्ट तैयार की गयी थी, परन्तु उन मुकदमों के कारण इसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता जो केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल में ई. सी./एस. एस. सी. अधिकारियों और पुलिस उप-अधीक्षको के रूप में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के बीच चल रहे थे।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने, आपातकाल कमीशन प्राप्त अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों द्वारा दायर की गई अपील को मंजूर करते समय यह निर्देश दिया है कि पदोन्नतियां, यदि कोई हों, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप की जाएंगी और ये पदोन्नतियां अपील के अंतिम परिणाम के अनुसार होंगी। तदनुसार केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल में पुलिस उप-अधीक्षकों की वरीयता सूची मे संशोधन किया जा रहा है।

(ग) भाग (क) और (ख) के हमारे उत्तर को ध्यान मे रखते हुए प्रश्न नही उठता।

Production of Truck Chassis

7054. ACHARYA BHAGWAN DEV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the quantum of production of Mercedes Benz truck chassis in the country in 1979-80;

(b) whether Government have received complaints regarding irregularities committed in the sale of these chassis by the dealers in Rajasthan; and

(c) if so, the action taken by Government against them?